(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री वरदाराम पुत्र श्री फाकाराम निवासी कृष्णगंज तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 64 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 12.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 15.07.2008 में पुराना खसरा संख्या 800/1567 नया खसरा संख्या 3171 का रद्दोबदल एवं नामान्तरकरण संख्या 1485 दिनांक 15.07.2008 में पुराना खसरा संख्या 800/157/1 नया खसरा संख्या 3170 का रद्दोबदल एवं नामान्तरकरण संख्या 839 में खसरा संख्या 3170 का रद्दोबदल व खसरा संख्या 3171 दोनों खसरों का श्री फाकाराम पुत्र श्री धरमाजी द्वारा बदामी पत्नि श्री बरगाराम व बरगाराम पुत्र श्री धरमाजी के नाम पर करवाया गया रददोबदल की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 12.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 15.07.2008 में पुराना खसरा संख्या 800/1567 नया खसरा संख्या 3171 का रद्दोबदल एवं नामान्तरकरण संख्या 1485 दिनांक 15.07.2008 में पुराना खसरा संख्या 800/157/1 नया खसरा संख्या 3170 का रद्दोबदल एवं नामान्तरकरण संख्या 839 में खसरा संख्या 3170 का रद्दोबदल व खसरा संख्या 3171 दोनों खसरों का श्री फाकाराम पुत्र श्री धरमाजी द्वारा बदामी पत्नि श्री बरगाराम व बरगाराम पुत्र श्री धरमाजी के नाम पर करवाया गया रददोबदल की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	